भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 632

उत्तर देने की तारीख- 06/02/2025

जनजातीय लोगों को भूमि अधिकारों का वितरण

632. श्री सुखदेव भगतः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जनजातीय कल्याण के लिए 12,461.88 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 70.69 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिकारों का वितरण धीमा है, क्योंकि अक्टूबर, 2023 तक केवल 23.43 लाख अधिकार वितरित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भूमि अधिकारों के वितरण में तेजी लाने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बढ़ा हुआ बजट जनजातीय समुदायों के लिए ठोस सुधार में परिवर्तित हो सके?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई) चरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 12461.88 करोड़ रुपये था, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (आरई) चरण में आवंटन से 70.69% अधिक था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संशोधित अनुमान चरण में आवंटन को संशोधित कर 7605.00 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(ख): एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें 20 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है।जनजातीय कार्य मंत्रालय, "अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006" (संक्षेप में एफआरए) के विधायी मामलों की निगरानी और प्रशासन

के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निदेश और दिशा-निर्देश जारी करता रहा है।

राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन एफआरए के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में इस मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नवंबर 2024 तक बताई गई प्रगति की तुलना अक्टूबर 2023 तक बताई गई प्रगति से की गई है, जो इस प्रकार है:

मदें	**एफआरए के तहत वितरित अधिकार पत्र (31.10.2023 तक)**	**एफआरए के तहत वितरित अधिकार पत्र (30.11.2024 तक)**
व्यक्तिगत	22,29,013	23,73,714
सामुदायिक	1,13,996	1,16,007
कुल	23,43,009	24,89,721

राज्य-वार तुलनात्मक प्रगति **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों को निदेश और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक दावेदार अपने वन अधिकारों से वंचित न हों। इसके अलावा, विकास के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिकार धारकों को पूरी तरह से दिलाने के लिए मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के तहत अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए के तहत कई पहलों को शामिल किया है। मंत्रालय इस अभियान के माध्यम से एफआरए को लागू करने वाले राज्यों को एफआरए के तहत अपने संभावित क्षेत्र का मानचित्रण करने, विरासत डेटा को डिजिटल बनाने, दावा प्रक्रिया के डिजिटलीकरण, सीएफआर प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और निष्पादन के लिए ग्राम सभा को सहायता प्रदान करने का इरादा रखता है। इन प्रयासों से एफआरए के कार्यान्वयन को गति मिलेगी। इसके अलावा अभियान के तहत मंत्रालय अभिसरण के माध्यम से कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की कई योजनाओं के साथ एफआरए पट्टा धारकों को सहायता देने का इरादा रखता है, जहां संबंधित योजना दिशानिर्देशों को लाभार्थी के योगदान को,जहां कहीं भी आवश्यक हो केवल 10%तक सीमित करने के लिए संशोधित किया गया है। वन विभाग के साथ क्षेत्र स्तर के मुद्दों को हल करने के लिए मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ दिनांक 14.03.2024 और 06.07.2021 को दो संयुक्त परामर्शी भी जारी किए हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लो.स.अ.ता.प्र. संख्य 632 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एफआरए कार्यान्वयन की स्थिति - रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राज्य-वार तुलनात्मक प्रगति (31.10.2023 से 30.11.2024 तक)

क्र. सं.	राज्य	वितरित अधिकार पत्रों की संख्या (31.10.2023 तक)			वितरित अधिकार पत्रों की संख्या (30.11.2024 तक)			प्रगति (31.10.2023 से 30.11.2024 के दौरान)		
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	225826	1822	227648	226434	1822	228256	608	0	608
2	असम	57325	1477	58802	57325	1477	58802	0	0	0
3	बिहार	121	0	121	121	0	121	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	475100	49241	524341	478563	49270	527833	3463	29	3492
5	गोवा	472	13	485	856	15	871	384	2	386
6	गुजरात	96559	4791	101350	98124	4791	102915	1565	0	1565
7	हिमाचल प्रदेश	256	59	315	256	59	315	0	0	0
8	झारखंड	59866	2104	61970	59866	2104	61970	0	0	0
9	कर्नाटक	14981	1345	16326	14981	1345	16326	0	0	0
10	केरल	28641	224	28865	29139	261	29400	498	37	535
11	मध्य प्रदेश	266901	27976	294877	266901	27976	294877	0	0	0
12	महाराष्ट्र	198220	8400	206620	198748	8661	207409	528	261	789
13	ओडिशा	457238	7813	465051	461013	8162	469175	3775	349	4124
14	राजस्थान	48614	2259	50873	49193	2973	52166	579	714	1293
15	तमिलनाडु	10536	531	11067	10536	531	11067	0	0	0
16	तेलंगाना	97434	102	97536	230735	721	231456	133301	619	133920
17	त्रिपुरा	127931	101	128032	127931	101	128032	0	0	0
18	उत्तर प्रदेश	18049	861	18910	18049	861	18910	0	0	0
19	उत्तराखंड	184	1	185	184	1	185	0	0	0
20	पश्चिम बंगाल	44444	686	45130	44444	686	45130	0	0	0
21	जम्मू एवं कश्मीर	315	4190	4505	315	4190	4505	0	0	0
कुल		**2229013**	**113996**	**2343009**	**2373714**	**116007**	**2489721**	**144701**	**2011**	**146712**

*****